Date - 21.04.2020

Class - B.A-2 (Honours)
Political science
(Paper- III)

Name of the Guest Teacher -
Khushbu kumari,
Political science Department, V.S.J. college, Rajnagar

Lecture - 1 भारत का संविधान : प्रमुख विशेषताएं

भारत का संविधान अपने व्यापक आकार, लचक और कठोरता का मिश्रण, एकात्मक संघवाद तथा विभिन्न संकटकालीन स्थिति का समाधान करने के लिए विशेष प्रावधानों सहित एक अनुपम संविधान है।
संविधान-निर्माण सभा द्वारा संविधान निर्माण के समय यह प्रयास किया गया कि राष्ट्र को एक ऐसा संविधान प्रदान किया जाए जो समय के साथ राष्ट्र के विकास में समर्थ हो तथा राष्ट्र-निर्माण एवं सामाजिक - आर्थिक पुनर्निर्माण को उचित आधार प्रदान कर सके।
इस उद्देश्य के लिए उन्होंने वे विशेषताएँ जो भारतीय दृष्टिकोण तथा राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त और आवश्यक थी, को संविधान में शामिल करने का प्रयास किया।

Scanned with CamScanner

डॉ॰ भीमराव आम्बेडकर के शब्दों में हम भारतीय संविधान की विशेषताओं को अच्छे से समझ सकते हैं। उन्होंने संविधान के बारे में कहा था कि, "मैं समझता हूँ कि यह (संविधान) व्यवहार-कुशल है, यह लचकीला है और यह अमन और युद्ध दोनों समय पर देश को एकजुट रखने के लिए काफी शक्ति-शाली है। सत्य ही मैं यह कह सकता हूँ, यदि संविधान के अधीन परिस्थितियां दूषित हो जाती हैं तो इसका कारण यह नहीं होगा कि हमारा संविधान कमजोर है, बल्कि हमें यह कहना पड़ेगा कि इसका कारण मानवीय त्रुटि है।"

भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं —

(1) लिखित एवं विस्तृत संविधान — भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लिखित है। भारत की संविधान निर्माण सभा द्वारा इसको तैयार एवं पारित किया गया। संविधान निर्माण सभा को संविधान लिखने और पास करने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लग गया।

भारतीय संविधान एक विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां हैं। समय-समय पर होने वाले संवैधानिक संशोधनों ने भी इसके आकार को बढ़ाया है।

Scanned with CamScanner

जेनिंग्ज के शब्दों में, "यह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है।"

(2) निर्मित एवं पारित हुआ संविधान — भारत का संविधान भारत के लोगों के द्वारा अपनी निर्वाचित प्रमुखतापूर्ण प्रतिनिधि संस्था संविधान निर्माण सभा के द्वारा तैयार किया गया। यह सभा दिसम्बर, 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अधीन गठित की गई थी। इसने अपना प्रथम अधिवेशन 9 दिसम्बर, 1946 को किया और 22 जनवरी 1947 को अपना उद्देश्य प्रस्ताव पास किया। 26 नवम्बर, 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया।

(3) संविधान की प्रस्तावना — भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान के दर्शन और उद्देश्यों का वर्णन करती है। यह घोषणा करता है कि भारत एक प्रमुखता सम्पन्न, समाजवादी, धर्म-निरपेक्ष, लोकतन्त्रीय गणराज्य और एक कल्याणकारी देश है जो कि न्याय, लोगों की स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त करने के लिए और भ्रातृत्व भावना, व्यक्ति आदर, राष्ट्र की एकता एवं अखण्डता को उत्साहित करने और स्थापित रखने के लिए वचनबद्ध है। आरम्भ में प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग

नहीं माना गया था परन्तु सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा केशवानंद भारती केस में दिए गए निर्णय के बाद इसको संविधान का एक भाग मान लिया गया है।

(4) भारत एक प्रभुसत्ता सम्पन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रीय गणराज्य है —

(i) भारत एक प्रभुसत्ता - सम्पन्न राज्य है — भारत की प्रस्तावना घोषित करती है कि भारत एक संप्रभुता सम्पन्न राज्य है। ऐसा घोषित करना यह दर्शाने के लिए आवश्यक था कि भारत पर ब्रिटिश शासन समाप्त हो चुका है। संविधान निर्माण सभा द्वारा संविधान को अपनाने से यह औपनिवेशिक स्थिति समाप्त हो गई और भारत पूर्णतया स्वतंत्र देश के रूप में विश्व मानचित्र पर उभर कर सामने आया। संप्रभुता शब्द यह स्पष्ट करता है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप में अपने निर्णय स्वयं लेने और इनको अपने लोगों और क्षेत्रों के लिए लागू करने के लिए स्वतंत्र है।

(ii) भारत एक समाजवादी राज्य है — भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42 वें संविधान संशोधन, 1976 के द्वारा समाजवाद शब्द शामिल किया गया। हालांकि आरम्भ से ही भारतीय संविधान में समाजवाद की अवधारणा शामिल थी। यह शब्द कि भारत एक समाजवादी देश है, का अर्थ यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक समाजवादी देश है। इससे सामाजिक आर्थिक न्याय के प्रति वचनबद्धता का पता लगता है जोकि देश के द्वारा लोकतंत्रीय व्यवहार और संगठित नियोजन के द्वारा प्राप्त की जानी है।

Scanned with CamScanner

(iii) भारत एक धर्म-निरपेक्ष राज्य है — 42 वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल किया गया। धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल करने का अर्थ यह हुआ कि एक राज्य होने के नाते भारत किसी भी धर्म को कोई विशेष दर्जा नहीं देता तथा भारत का कोई सरकारी धर्म नहीं है। इसका सकारात्मक पहलू यह है कि भारत ने सभी धर्मों को एक-समान अधिकार और स्वतंत्रता देकर धर्म-निरपेक्षता अपनाई है।

(iv) भारत एक लोकतंत्रीय राज्य है — संविधान की प्रस्तावना भारत को एक लोकतंत्रीय राज्य घोषित करती है। भारत का संविधान एक लोकतंत्रीय शासन प्रणाली स्थापित करता है, जिसमें सरकार की सत्ता लोगों की प्रभुसत्ता पर निर्भर है। लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, सरकारी पद प्राप्त करने का अधिकार, संगठन स्थापित करने का अधिकार और सरकार की नीतियों की आलोचना एवं उनका विरोध करने का अधिकार। इन अधिकारों के आधार पर ही लोग राजनीति की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। वे अपनी सरकार का निर्वाचन स्वयं करते हैं। इसके साथ ही सरकार अपनी सभी कार्यवाहियों के लिए लोगों के समक्ष उत्तरदायी होती है।

(v) भारत एक गणराज्य है — भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक गणराज्य घोषित करती है। इसका अर्थ यह

Scanned with CamScanner

है कि भारत पर किसी राजा या उसके द्वारा मनोनीत मुखिया के द्वारा शासन नहीं चलाया जाता है; बल्कि भारत के पास देश का एक निर्वाचित मुखिया है जो कि एक निर्धारित समय के लिए अपनी सत्ता संभालता है। भारत के राष्ट्रपति देश का प्रमुख है और एक निश्चित कार्यकाल के लिए निर्वाचित अध्यक्ष के तौर पर कार्य करते हैं।

(5) भारत राज्यों का एक संघ है — भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है — भारत, राज्यों का एक संघ है। यह भारत को न तो एक संघात्मक राज्य और न ही एक एकात्मक राज्य घोषित करता है। भारतीय संघ की इकाइयों को संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। 1956 में भारतीय राज्यों के पुनर्गठन के बाद भारत में 16 राज्य एवं 3 केन्द्र शासित प्रदेश थे। धीरे-धीरे कई परिवर्तनों के बाद वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केन्द्रशासित प्रदेश हैं।

(6) संघीय ढांचा एवं एकात्मक भावना — भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करते हुए संविधान एकात्मक भावना वाला एक संघीय संरचना स्थापित करता है।

के. सी. व्हीयर के अनुसार भारत एक "अर्ध-फेडरेशन" है। एक संघात्मक राज्य के समान भारत का संविधान ये व्यवस्थाएँ करता है —

(i) केन्द्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन
(ii) एक लिखित और कठोर संविधान
(iii) संविधान की सर्वोच्चता

Scanned with CamScanner

(iv) स्वतंत्र न्यायपालिका
(v) द्वि-सदनीय संसद

परन्तु बहुत ही शक्तिशाली केन्द्र, साझा संविधान, एकल नागरिकता, संकटकाल स्थिति की व्यवस्था, साझा चुनाव आयोग करके संविधान एकात्मक भावना को प्रकट करता है। संघवाद एवं एकात्मकवाद का मिश्रण भारतीय समाज के बहुलवादी स्वरूप और क्षेत्रीय विभिन्नताओं को ध्यान में रख कर और राष्ट्र की एकता और अखण्डता विद्यमान रखने की आवश्यकता के कारण किया गया है।

(7.) कठोरता और लचकशीलता का मिश्रण — भारतीय संविधान की कुछ व्यवस्थाओं में संशोधन के लिए कठिन प्रक्रिया को अपनाया गया है, जबकि कुछ विषयों में आसानी से संशोधन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए नए राज्य बनाने, किसी राज्य के क्षेत्र बढ़ाने या घटाने, नागरिकता से संबंधित नियम, किसी राज्य की विधानपरिषद् को स्थापित करने या समाप्त करने से संबंधित संशोधन आसानी से पारित किये जा सकते हैं जबकि कुछ विषयों जैसे — राष्ट्रपति के चुनाव का ढंग, संघ की कार्यपालिका शक्तियों की क्षेत्र सीमा, राज्य कार्यपालिका की शक्ति की क्षेत्र-सीमा, संघीय न्यायपालिका से सम्बन्धित प्रावधान, राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबंधित प्रावधान, वैधानिक शक्तियों का विभाजन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व जैसे विषयों में संशोधन के लिए अत्यंत ही कठोर प्रक्रिया को अपनाया गया है।

Scanned with CamScanner